

September – October 2020
B. B. A. LL. B. (Hons.) Xth Semester Examination

WOMEN AND CRIMINAL LAW
PAPER III

[Max. Marks 80]

[Min. Marks 32]

विशेष निर्देश : प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 250 से 300 शब्द है ।
Word limit for answer of each question is 250 to 300 words.

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की प्रकृति एवं उनके प्रकारों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के साथ व्याख्या कीजिये ।
Discuss the nature and types of varied crimes against women in India with the help of decided case by Supreme Court.
2. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किये गये हैं ? समझाइये ।
What efforts had done at International Level to ban crimes against women ? Explain.
3. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की सुरक्षा हेतु न्यायालयों के दिशा-निर्देश एवं विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए ।
Discuss the various laws and guidelines given by Courts for protection of women against sexual harassment on working place.
4. महिलाओं का समाज में 'अशिष्ट रूपण' क्या होता है ? समझाइये ।
What is the 'Indecent Representation' of women in the society ? Explain.
5. दहेज हत्या क्या है ? दहेज हत्या संबंधित विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए ।
What is Dowry Death ? Discuss the various law relating to Dowry Death.
6. निम्न को समझाइये :
(अ) अप्राकृतिक अपराध (ब) स्टार्किंग ।
Discuss the following :
(a) Unnatural Offence (b) Stacking.
7. अनैतिक व्यापार से संबंधित विभिन्न भारतीय विधियों की व्याख्या कीजिये ।
Discuss the various Indian Laws related to Immoral Trafficking.
8. घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए । घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए ।
Define Domestic Violence. Examine the impact of protection of women from Domestic Violence Act, 2005 on Society.
9. भारतीय समाज में स्त्री भ्रूण हत्या एवं इसके रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए ।
Write a note on Killing of Female Foeticide in Indian Society and its prevention.
10. क्रूरता को समझाइये । क्या एक महिला क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकती है ? विभिन्न विधिक प्रावधानों को समझाइये ।
Describe Cruelty. Whether a women can take divorce on the ground of cruelty ? Discuss various legal provisions.